खण्ड - 6 संख्या - 9

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

(भाग-I कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 4 जुलाई, 1996 ई०

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :-

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :-

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :- 6, 34, 35 एवं 36

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :- 574

परिशिष्ट - (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :-

टिप्पणी :- कोई भी मा० मंत्री अथवा मा० सदस्य अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि 4 जुलाई, 1996 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा

का

कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में

वृहस्पतिवार, तिथि 4 जुलाई, 1996 को पूर्वाह्न 11 बजे

अध्यक्ष, **श्री देवनारायण यादव** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर :

सूद सहित उप-आवंटित हिस्सा दिलाना

6. **श्री राजो सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि–

1. क्या यह बात सही है कि निदेशक, शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम ने अपने पत्रांक 342, दिनांक 15 दिसम्बर 1994 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जिन पुराने जिलो में से नये जिलों का सृजन किया गया है, उन जिलों के जिला पदाधिकारी नव-सृजित जिला के शहरी जनसंख्या के अनुपात में सूद सहित राशि का उप-आवंटन करने हेतु सुनिश्चित करें?

2. क्या यह बात सही है कि पुराने जिला मुंगेर से नव सृजित जिले शेखपुरा एवं लखीसराय को अभी तक शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिये आवंटित राशि में से शहरी जनसंख्या के अनुपात में सूद सहित उप-आवंटित राशि का हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है?

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक शेखपुरा एवं लखीसराय जिलों को पुरानी जिला मुंगेर से सूद सहित उप-आवंटित हिस्सा दिलाने का विचार रखती है?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है। लेकिन नवसृजित जिलों को जनसंख्या के अनुपात में सूद सहित राशि के उप-आवंटन का निर्देश नहीं दिया गया था।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

3. शेखपुरा एवं लखीसराय जिलों को स्थानीय निकायों को वर्ष 94-95 एवं 95-96 में राशि का उप आवंटन जिला स्तर से किया गया है। इसके बाद राज्य स्तर से ही शेखपुरा एवं लखीसराय जिले के लिए राशि का आवंटन किया जा रहा है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार के स्तर पर जो रूपये देने की बात है तो क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेगें कि वह रकम क्या है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1993-94 में लखीसराय जिला में लखीसराय नगरपालिका को 1.64 लाख, बडहिया नगरपालिका को 0.99 लाख, शेखपुरा जिला में शेखपुरा नगरपालिका को 1.07 लाख, बरबीघा अधिसूचित क्षेत्र समिति को 0.94 लाख।

इसी तरह 1994-95 में लखीसराय जिला में लखीसराय नगरपालिका को 2,74,963रु०, बड़हिसा नगरपालिका को 2,04,860 रु०, शेखपुरा जिला में शेखपुरा नगरपालिका को 2,12,890 रु०, बरबीघा अधिसूचित क्षेत्र समिति को 1,49,468 रु०, और 1995-96 में लखीसराय जिला में लखीसराय नगरपालिका को 35,700 रू० बड़हिया नगरपालिका को 65,000 और शेखपुरा जिला में शेखपुरा नगरपालिका को 14,000 रु० तथा बरबीघा अधिसूचित क्षेत्र समिति को 11,000 रु० दिया गया है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे रूपये नगरपालिका को मिल गये हैं कि ज़िलाधिकारी को दिया गया है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1994-95 में या उससे पहले डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट को यह राशि दी जाती थी। जो भारत सरकार का गाइड लाइन है उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट नगरपालिका क्षेत्र में देते हैं। 1995-96 से यह राशि सीधे नगरपालिका क्षेत्र को देने का आदेश निर्गत किया गया है।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो पैसा आप सचिवालय से देते हैं डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रीक्ट मेजिस्ट्रेट इस पैसे को डायवर्सन कर दूसरे हेड में लगा देते हैं। जबकि मंत्री जी आप स्वयं जानते हैं कि नगरपालिका को आपके पास देने का बहुत कम बजट है और ज्यादा दे नहीं सकता है। इसलिये क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेगें कि जो रूपया आप डिस्ट्रीक्ट मेजिस्ट्रेट को सीधे देतेहैं वह नगरपालिका को सीधे दें ताकि उस पैसे पर कंट्रोल सीधे उसका हो, वह आपका अपना विभाग है।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष से यह आदेश दिया गया है कि यह राशि सीधे नगरपालिका को दी जाय।

श्री लालबाबू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शेखपुरा नगरपालिका को 1 लाख 7 हजार क्यों दिया जा रहा है?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी दे दूं कि जो राशि आवंटित की जाती है बाजपता भारत सरकार का जो गाइड लाइन है--इसमें लेबर कम्पोनेन्ट भी है, आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर उठाने, हाउसिंग स्कीम, गंदी बस्तियों के सुधार का भी आइटमें होता है। सब मिलाकर पोपुलेशन के आधार पर भारत सरकार को जो गाइडलाईन है उसके आधार पर पैसा सभी नगरपालिका / निगमों को दिया जाता है।

86 बस्तियो को लीज से मुक्त करना

34. श्री रघुवर दास - क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि टिस्को को राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन का लीज एकरारनामा 31 दिसम्बर 1995 से निष्प्रभावी हो गया है?

2. क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, जमशेदपुर और विभागीय मंत्री ने टिस्को के साथ नया लीज एकरारनामा करते समय 86 बस्तियों को लीज से मुक्त रखने की अनुशंसा विगत वर्ष 1995 में की है?

3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित